समाहरणालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, कृषि विभाग बिहार, पटना के पत्र संख्या–45,46 एवं 47 आवंटन/कृषि पटना दिनांक 25.06.2015 द्वारा वितीय वर्ष 2015–16 में बजटशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानो को प्रशिक्षण–मांग सं0–1–उपशीर्ष–0103– बाढ, सुखाड की आपातकालीन योजना सब्सीडी अंतर्गत खरीफ 2015 में वर्षापात की कमी के कारण उत्पन परिस्थिति में खरीफ फसलो के उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई हेतु डीजल अनुदान मद में प्राप्त राशि को निम्नांकित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित राशि निम्न शर्त पर उपआवंटित की जाती है:–

1. सामान्य वर्ग अन्तर्गत उप आवंटित राशि 2,95,47,960.00 (दो करोड पन्चान्बे लाख सैतालीस हजार नौ सौ साठ) रूप्ये की निकासी बजटशीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानो को प्रशिक्षण–मांग सं0–1–उपशीर्ष–103–बाढ,सुखाड की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR–56 83, विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी में वितीय वर्ष 2015–16 के लिए उपबंधित राशि से की जायगी।

2. अनुसूचित जाति अन्तर्गत उप आवंटित राशि 75,76,400.00 (पचहतर लाख छियतर हजार चार सौ) रूप्ये की निकासी बजटशीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–प्रशिक्षण–मांग सं0–1–उपशीर्ष–0125– बाढ, सुखाड की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401007890125,विषयशीर्ष–3301 – सब्सिडी में वितीय वर्ष 2015–16 के लिए उपबंधित राशि से की जायगी।

3. अनुसूचित जनजाति अन्तर्गत उप आवंटित राशि 7,57,640.00 (सात लाख सन्तावन हजार छः सौ चालीस) रूप्ये की निकासी बजटशीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–796– जनजातिय क्षेत्र उप योजना– प्रशिक्षण–मांग सं0–1–उपशीर्ष–0147– बाढ, सुखाड की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401007960147,विषयशीर्ष–3301–सब्सिडी में वितीय वर्ष 2015–16 के लिए उपबंधित राशि से की जायगी।

4. यह राशि वित विभाग के पत्रांक –2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी गयी है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तो/निदेशो के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय। जिसकी पूर्ण जबाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगीं।

6. उप आवंटित राशि की निकासी किसानो द्वारा दिये गये अधिकृत पेट्रोल पम्प से सत्यापनोपरान्त पारित अभिश्रवो के आधार पर (FULLY Vouched Bill) डिटेल कंटिजेन्ट बिल पर की जायगी। किसी भी परिस्थिति में ए0सी0 बिल पर राशि की निकासी न हो, यह संबंधित कोषागार पदाधिकारी भी सुनिश्चित करेगें।

7. उपावंटित राशि जिस वर्ग हेतु उपावंटित की गयी है उसी वर्ग से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जायगी।